


क्रमांक: स्वाईन फ्लू/2009/553

दिनांक: 22-12-09

### आदेश

प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 25-12-2009 से 28-12-2009 तक राजपत्रित अवकाश के दिनों में स्वाईन फ्लू इन्फ्लूएन्जा-ए (एच1एन1) रोग की सभी चिकित्सा संस्थानों पर स्क्रीनिंग, स्कूल स्क्रीनिंग, घर-घर सर्वे कार्य, पोजीटिव केसेज का ईलाज एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, दैनिक रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्य यथावत सम्पादित किया जायेगा।


फलस्वरूप दिनांक 25-12-2009 से 28-12-2009 तक राजपत्रित अवकाश के दिनों में सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित रह कर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी, स्वाईन फ्लू सेल, निदेशालय।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।